की भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित भूमि के कब्जे को लेकर विवाद है। अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी का बेचान दीगर व्यक्तियों को बेचान कर अन्य दीगर व्यक्तियों से कब्जा करवा सकता है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद नही किया गया तो वादग्रस्त आराजी के विधिक तकास्मा से पूर्व अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी बेचान कर सकता है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति जिसकी क्षतिपूर्ति प्रार्थीगण को किसी प्रकार से संभव नही हो सकेगी। इस प्रकार मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है। इसलिये ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

अतः आदेश यह है कि :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वादपत्र के निर्णय तक पावंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नंबर 37 / 0.02, 39 / 1.92 कुल किता 2 कुल रकबा 1.94 हैक्टेयर वाके ग्राम बालाहेडी तहसील महवा जिला दौसा (राज.) में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नही करें तथा उसे किसी को रहन, बय, मुन्तकिल नही करे तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीषा रेशम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

सत्यमेव जयते
महवा दौसा

Scanned with OKEN Scanner